भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1239

जिसका उत्तर दिनांक गुरुवार, 12 दिसम्बर, 2013 को दिया जाना है

पी.एस.यू. में एस.सी./एस.टी. कर्मचारी

1239. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र उपक्रमों में कार्यरत एस.सी./एस.टी. कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एस.सी./एस.टी. के रिक्त पदों की संख्या क्या है तथा उन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को पी.एस.यू. के निदेशक मंडल में एस.सी./एस.टी. श्रेणियों के कम प्रतिनिधित्व की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रफुल पटेल)

(क) सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के सर्वेक्षण 2011-2012 के अनुसार, 1/1/2012 की स्थिति के अनुसार, 214 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) में 1,98,421 अनुसूचित जाति के और 1,02,472 अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी हैं। सार्वजनिक क्षेत्र-वार ब्यौरे लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट www.dpe.nic.in पब्लिकेशन्स पी ई सर्वे 2011-12 स्टेटमेंट पर प्रदर्शित हैं।

(ख) लोक उद्यम विभाग पीएसयू में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों का वर्ष-वार अनुरक्षण केन्द्रीय रूप से नहीं करता है। हालांकि, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए समय-समय पर विशेष भर्ती अभियान शुरू किए जाते हैं।

(ग) से (ङ): लोक उद्यम विभाग ने अपने दिनांक 18.04.2011 के का. ज्ञा. सं. 2(15)/2011-जी.एम. के द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निदेशक मंडल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला श्रेणियों के प्रतिनिधित्व के बारे में आवश्यक कार्रवाई के लिए उद्योग पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा व्यक्त की गई चिंता से सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को अवगत कराया है।